सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 16/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – नून्द्रीमालदेव

दयाल लाल पुत्र स्व. श्री नाथूलाल जाति मेघवाल उम्र 25 साल निवासी गणेशपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0

——— प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील, ब्यावर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 14.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नून्द्री मालदेव में पेश हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सेदरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर में भूमि खसरा संख्या 560, 566/616, 349, 350, 350/615, 351, 355, 558, 559, 563, 614, 556, 338, 561, 562, 564 प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त भूमियां चली आ रही है । उपरोक्त भूमियां के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दीनदयाल अंकित हो रखा है, जिनकी जानकारी प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर हुई, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, इत्यादि में नाम दयाललाल है। दयाललाल व दीनदयाल नाम प्रार्थी के ही नाम है लेकिन प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम दयाल लाल है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दीनदयाल के स्थान पर समस्त दस्तावेजी रेकार्ड अनुसार दयाल लाल नाम करवाना चाहता है जो कि दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2018 से अवगत करवाया कि प्रकरण में वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070–73 में खाता संख्या में 120, 121, 122, व 248 दीनदयाल वल्द नाथूलाल नाम चला आ रहा है। जमाबन्दी संवत् 2059–62 में खाता संख्या 137, 139, 140 में व विरासत का नामान्तरकरण सं. 787 में भी दीनदयाल वल्द नाथूलाल नाम दर्ज है। समस्त आईडी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में दयाललाल वल्द नाथूलाल जाति मेघवाल नि. गणेशपुरा दर्ज चला आ रहा है। ग्राम में पूछताछ करने पर बताया कि दीनदयाल व दयाललाल एक ही व्यक्ति है व ग्राम में दयाललाल नाम से जाना जाता है।

प्रार्थीदयाल स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीने प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस के परिप्रक्ष्य में मज़में आम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सेदरिया की जमाबन्दी संवत् 2070–73 की खाता संख्या 248 में अंकित खसरा संख्या 560, 566/616 मे अन्य सहखातेदारान के साथ दीनदयाल नाबा.पुत्र नाथूलाल अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 120, 121, 122 में भी अन्य सहखातेदारान के साथ दीनदयाल दर्ज है। प्रार्थी स्वयं का 50 रू. के स्टाम्प पर कथन किए हैं कि प्रार्थी का वास्तविक नाम दयाल लाल है तथा प्रार्थी ने चुनाव पहचान पत्र , आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका प्रस्तुत की छाया प्रति है जिसमें प्रार्थी का नाम दयाल लाल अंकित है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन तथा मज़में में आम पूछताछ व तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का नाम दीनदयाल के स्थान पर दयाल लाल किया जाना न्यायोचित है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

.....................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तदनुसार तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सेदरिया की जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 248, 120, 121, 122 में प्रार्थी का नाम दीनदयाल के स्थान पर दयाल लाल दर्ज कर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14–05–2018 को मज़में आम में ग्राम पंचायत रूपनगर में खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर